संख्या-30/2015/1462 ई-2/तेरह-2015-50/96

प्रेषक,

मोहम्मद जुनीद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 20 जुलाई,2015

विषय:- मेसर्स गाजियाबाद आर्गेनिक्स लि0,(आसवनी) भोजपुर, गाजियाबाद को आसवनी में उत्पादित शोधित आसव एवं विशेष विकृत आसव को प्रदेश तथा प्रदेश के बाहर विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-169/दो-प्रा0डी0-69, दिनांक 31 मार्च,2015, पत्र संख्या-जी-11/दो-प्रा0डी0-69, दिनांक 07 मई,2015 तथा पत्र संख्या-जी-40/दो-प्रा0डी0-69, दिनांक 25 जून,2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्रों दिनांक 31 मार्च,2015 तथा दिनांक 25-6-2015 में आप द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं की गई संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त मेसर्स गाजियाबाद आर्गेनिक्स, गाजियाबाद का कैप्टिव आसवनी का दर्जा समाप्त करते हुये आसवनी में उत्पादित होने वाले अल्कोहल को बाजार की मांग के अनुरूप शोधित आसव एवं डिनेचर्ड स्प्रिट/स्पेशली डिनेचर्ड स्प्रिट के रूप में प्रदेश में तथा प्रदेश के बाहर विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में शासन की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

कृपया तद्नुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0/-
(मोहम्मद जुनीद)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in